कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।

क्रमांक : 2026/पीए/521 दिनांक 10.09.2026

–:: संशोधित कार्यालय आदेश ::–

मैं **स्वाति पारीक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,** कोटपूतली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश हेतु रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् जारी कार्यालय आदेश क्रमांक/2026/पीए/517 दिनांकित 08.09.2026 में संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उक्त आदेश दिनांकित 08.09.2026 में श्रीमती आकांक्षा बंशीवाल, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली को दिनांक 11.09.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी से मुक्त किया जाकर सुश्री एंजल, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली को दिनांक 11.09.2026 की रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष आदेश यथावत् रहेंगे।

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़।(ई मेल)
2. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटपूतली (जरिए ई मेल)
3. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जरिए ई मेल)
4. पुलिस अधीक्षक, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस निर्देश के साथ की सभी आरक्षी केन्द्रों को इस बारे में सूचित किए जाने का श्रम करें। (जरिए ई मेल)
5. सहायक निदेशक अभियोजन, कोटपूतली, जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस लेख के साथ कि संबधित दिनांक को न्यायालय में पी.ओ./ए.पी.ओ. को उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करें।
6. समस्त अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, कोटपूतली–बहरोड़ न्यायक्षेत्र। (जरिए ई मेल)
7. सिस्टम ऑफिसर कोटपूतली को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. कार्यालय पत्रावली।

(स्वाति पारीक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
जिला कोटपूतली–बहरोड़